न्यायालय भूमि सुधार उप– समाहर्त्ता, बसिया (गुमला)।

अनुमति वाद संख्या 29 / 2024–25

अनुसूची –14 फॉरम सं0– 563

आदेश की क्र0सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
24/3/25		

आवेदक फागु उरॉव, पिता स्व0 पाडु उरॉव, जाति उरॉव, ग्राम सोलंगबीरा, थाना – बसिया, जिला– गुमला (झारखण्ड) ने निम्नाकिंत विवरणी की भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति के निमित छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमिति वाद प्रारम्भ किया गया।

भूमि का विवरणी

राजस्व ग्राम	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा	जमीन किस्म
सोलंगबीरा	124	46	1508	0.30 एकड़ में से 0.08 एकड़	टांड

कुल 0.08 (आठ डिसमील)

प्लॉट सं0 1508 का चौहदी :– उत्तर में – प्लॉट सं0 1509, दक्षिण में – प्लॉट सं0 1507 अंश विक्रेता द्वारा 50 फीट रोड़ छोड़कर बीच से। पुरब में – विक्रेता नीज, पश्चिम में – अंश प्लॉट (कलेश्वर उरॉव)

जमीन विक्रेता का विवरणी

फागु उरॉव, पिता स्व0 पाडु उरॉव, जाति उरॉव, ग्राम सोलंगबीरा, थाना – बसिया, जिला–गुमला

जमीन क्रेता का विवरणी

संतोषी कुमारी, पति मनोज उरॉव, जाति उरॉव, ग्राम सोलंगबीरा, थाना – बसिया, जिला–गुमला।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बसिया, (गुमला)

आवेदित भूमि को आवेदक प्रस्तावित केता संतोषी कुमारी, पति मनोज उरॉव, जाति उरॉव, ग्राम सोलंगबीरा, थाना – बसिया, जिला– गुमला से राशि 1,00,000 (एक लाख) रूपये पर बिक्री करने का तय हुआ है।

आवेदक को मकान बनाने / इलाज हेतु / हल बैल खरीदगी हेतु रूपये की आवश्यकता है के कारण ही आवेदक भूमि की बिक्री कर रहे है। अंचलाधिकारी, बसिया को आवेदन भेजते हुए जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं आम ईश्तेहार निर्गत किया गया। अंचलाधिकारी, बसिया के कार्यालय के पत्रांक 154 / रा0 दिनांक 10 / 03 / 2025 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा आवेदक को जमीन बिक्री करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। आम सूचना के तामिला के बावजूद अभी तक किसी की ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। उक्त भूमि की बिक्री के बाद भी आवेदक के पास पर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरूआ आम / खास भूमि बन्दोबस्ती, भू–हदबन्दी भूदान, वनसीमा एवं भू–अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनो पक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्तर्गत जाति उरॉव के है साथ ही एक ही थाना के निवासी है।

अतः अंचल अधिकारी, बसिया के जॉच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि को आवेदक फागु उरॉव, पिता स्व0 पाडु उरॉव, जाति उरॉव, ग्राम सोलंगबीरा, थाना – बसिया जिला–गुमला को उपरोक्त वर्णित राशि 1,00,000 (एक लाख) रूपये अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनो में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतत् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावी नहीं होगा।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप –समाहर्त्ता
बसिया (गुमला)
24.03.25

Digitally signed by SHEKHAR KUMAR
Date: 2025.05.02 12:32:02 +05:30
Location: 192.168.0.112